

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 495] No. 495] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941 NEW DELHI FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सं. एल. 1/18/2010-केविवआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय से यथासंशोधित केविविआ (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः-

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः

- 1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है.
- 1.2 ये विनियम 01.04.2020 या इस प्रकार की अन्य तारीख से जिसे आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया है, प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के भाग 6 का संशोधनः

- 2.1 मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5 के खंड 4 के उप-खंडों (क), (ख) तथा (ग) में, जहां पर भी 'बाजार' शब्द का उल्लेख है, उसे 'डेअहेड बाजार' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2.2 मूल विनियमों के भाग 6 के विनियम 6.5 के खंड (5) का उप-खंड (क) उपशीर्षक "डे-अहेड सामूहिक संव्यवहार के अनुसूचीकरण :" से आरंभ होगा।
- 2.3 मूल विनियमों के भाग 6 के विनियम 6.5 के खंड (5) का उप-खंड (क) के बाद निम्नानुसार नया उप खंड (कक) जोड़ा जाएगाः-

(1)

6661 GI/2019

"(क)(क) वास्तविक समय सामूहिक संव्यवहार का अनुसूचीकरणः राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र गेट बंद होने से पूर्व अर्थात् निर्दिष्ट अविध के लिए व्यापार की विंडो बंद होने से पूर्व पावर एक्सचेंज को प्रत्येक पारेषण कॉरीडोर में उपलब्ध मार्जिन को इंगित करेगा। पावर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यथासूचित विविध इंटरफेसों या नियंत्रण क्षेत्रों या प्रादेशिक पारेषण प्रणालियों के संबंध में विचाराधीन उक्त अविध के लिए क्रय तथा विक्रय बोलियों का निपटान करना होगा। संबंधित पावर एक्सचेंजों के लिए वास्तविक समय के दौरान सामूहिक संव्यवहार के अनुसूचीकरण के लिए सीमा आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रीय भार प्रेषण कॅन्द्र विनिर्दिष्ट अविध के लिए वास्तविक समय बाजार के लिए व्यापार बंद होने से पूर्व पावर एक्सचेंज(जों) को पारेषण कॉरिडोर उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर पावर एक्सचेंज वास्तविक समय बाजार बोलियों का निपटान करेगा तथा बाजार क्लीयरिंग कीमत एवं मात्रा की घोषणा करेगा। पावर एक्सचेंजों द्वारा निपटाई गई मात्रा के आधार पर, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र पावर एक्सचेंज(एक्सचेंजों) को सामूहिक संव्यवहारों की अनुसूचीकरण की स्वीकृति प्रेषित करेगा। प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र प्रादेशिक ईकाइयों की संबंधित परिधि में सामूहिक संव्यवहारों को अनुसूचित करेगा।"

2.4 मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5 के खण्ड (18) को निम्नानुसार जाएगाः-

"18. क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के साथ 2 भाग टैरिफ वाले अंतरराज्यिक उत्पादन प्रणाली(प्रणालियों) द्वारा घोषित क्षमता के पुनरीक्षण तथा दिवस की शेष अविध के लिए हिताधिकारी(हिताधिकारियों) द्वारा मांगों की अनुमित भी अग्रिम नोटिस के साथ दी जाएगी। ऑड टाइम ब्लॉकों में की गई अनुसूची में कोई पुनरीक्षण सातवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होगा और इवन टाइम ब्लाकों में की गई अनुसूची में कोई पुनरीक्षण टाइम ब्लाकों की गणना करते हुए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी हो जाएगा जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्राप्त किए गए अनुरोध को प्रथम माना जाएगा।

नोटः इस खण्ड में उल्लिखित ऑड टाइमब्लॉक 00:00 से 00:15, 00:30 से 00:45, 01:00 से 01:15 और इससे आगे हैं। इस खण्ड में उल्लिखित ईवन टाइमब्लॉक 00:15 से 00:30, 00:45 से 01:00, 01:15 से 01:30 और इससे आगे हैं।

दृष्टांतः

यदि अनुसूची या घोषित क्षमता में पुनरीक्षण के लिए अनुरोध दिवस डी के टाइमब्लॉक 17:00 से 17:15 (ऑड टाइमब्लॉक) में किया गया है तो यह दिवस डी के टाइमब्लॉक 18:30 से 18:45 तक प्रभावी होगा (टाइमब्लॉक से सातवां टाइमब्लॉक जिसमें पुनरीक्षण के लिए अनुरोध किया गया था) इसी प्रकार यदि अनुसूची या घोषित क्षमता में पुनरीक्षण के लिए अनुरोध दिवस डी के टाइमब्लॉक 17:15 से 17:30 (ईवन टाइमब्लॉक) में किया गया है तो यह दिवस (डी) के टाइमब्लॉक 19:00 से 19:15 तक प्रभावी होगा। (टाइमब्लॉक से आठवे टाइमब्लॉक जिसमें पुनरीक्षण का अनुरोध किया गया था)।

2.5 मूल विनियमों के विनियम 6.5 के खंड 18 के उपखंड (क) को निम्नानुसार किया जाएगाः

"िकसी ईकाई के बलपूर्वक आउटेज" के मामले में, जिन स्टेशनों के पास दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक काँट्रेक्टों के लिए क्षमता प्रभार एवं ऊर्जा प्रभार पर आधारित दो भाग टैरिफ है, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूची का पुनरीक्षण करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता तथा पुनरीक्षित अनुसूचियां समय ब्लॉक से तथा विनियम 6.5.18 में यथानिर्दिष्ट रूप से प्रभावी होंगी।"

2.6 मूल विनियमों के भाग 6 के विनियम 6.5 के खंड 19 को निम्नानुसार किया जाएगाः

"ऐसे उत्पादन केन्द्र (जिनकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट या उससे अधिक है) के यूनिट के बलपूर्वक आउटेज तथा अल्प-कालिक द्विपक्षीय संव्यवहार (पावर एक्सचेंज के माध्यम से डेअहेड बाजार एवं वास्तविक समय बाजार में सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) के अंतर्गत ऊर्जा बेचने के मामलों में उत्पादन या विद्युत व्यापारी या इस उत्पादन केन्द्र की यूनिट से ऊर्जा बेचने वाला कोई अन्य अभिकरण, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को अनुसूची के परीक्षण और यूनिट की बहाली के अनुमानित समय के लिए अपेक्षा के साथ यूनिट की आउटेज की तत्काल सूचना देंगे। हिताधिकारियों, विक्रेताओं तथा इस उत्पादन यूनिट से ऊर्जा के क्रेताओं को अनुसूची को तदनुसार, पुनरीक्षित किया जाएगा। पुनरीक्षित अनुसूची समय ब्लॉक तथा विनियम 6.5.18 में यथानिर्दिष्ट रूप से प्रभावी होगी। यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र/प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र विक्रेता तथा क्रेता को पुनरीक्षित अनुसूची के बारे में सूचना

देगा। यूनिट की बहाली के अनुमानित समय से मूल अनुसूची प्रभावी हो जाएगी। तथापि, मूल अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रभार दो दिनों के लिए निरंतर संदत्त किए जाते रहेंगे।

परंतु यह कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अनुसूची, ईकाई के बलपूर्वक आउटेज के बाद पुनरीक्षित की जाएगी यदि विशिष्ट संव्यवहार के लिए ऊर्जा को स्रोत को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन के दौरान स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया हो तथा उस उत्पादन केन्द्र की उक्त ईकाई में बलपूर्वक आउटेज किया गया हो।"

- 2.7 मूल विनियमों के भाग 6 के विनियम 6.5 (क) में शीर्षक में, "और यूआरएस" शब्दों को "यूआरएस एवं वास्तविक समय संव्यवहारों" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2.8 मूल विनियमों के विनियम भाग 6 के विनियम 6.5 (क) में खण्ड(ग) को निम्नानुसार किया जाएगाः

"(ग) आईएसजीएस जिसका टैरिफ अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित है, आरंभ होने वाली विनिर्दिष्ट अविध के लिए वास्तविक समय बाजार के लिए व्यापार से पूर्व हिताधिकारियों से सहमित की अपेक्षा के बिना वास्तविक समय बाजार में और इस प्रकार के हिताधिकारियों की सहमित सिहत डेअडेड बाजार में इसके मूल हिताधिकारियों के शेयर से ऊर्जा का विक्रय कर सकता है। दोनों मामलों में उदगृहित लाभों को आगामी माह के बिलिंग में आईएसजीएस को 7 पैसा प्रति किलोवाट घण्टा और हिताधिकारी को शेष सीमा के अध्याधीन 50:50 के अनुपात में आईएसजीएस और संबंधित हिताधिकारी के बीच शेयर किया जाएगा। यह लाभ आकस्मिक खर्चों सिहत इस प्रकार की ऊर्जा की विक्रय कीमत और ईंधन प्रभार के बीच अंतर के रूप में संगणित किया जाएगा।

बशर्ते कि आईएसजीएस द्वारा ऊर्जा की इस प्रकार की बिक्री के बिना प्रतिदेय उर्जा प्रभार की तुलना में उच्चतर औसत उर्जा प्रभार के रूप को शामिल करते हुए मूल हिताधिकारी(हिताधिकारियों) पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

बशर्ते यह कि आईएसजीएस और हिताधिकारी(हिताधिकारियों) के बीच हानियों की कोई शेयरिंग नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि इस प्रकार के मामलों में नियत प्रभार की देयता समय समय से आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों के अनुसार यथानिर्धारित मूल हिताधिकारी(हिताधिकारियों) की बनी रहेगी।"

2.9 निम्नलिखित परन्तुक मूल विनियम के भाग 6 के विनियम 6.5 के खण्ड(30) के नीचे जोड़ा जाएगाः

"बशर्ते कि सामूहिक संव्यवहारों को कम करते हुए, डेअहेड संव्यवहार पहले कम किए जाएंगे और बाद में रियल टाइम संव्यवहार होंगे।"

सनोज कुमार झा, (सचिव)

[विज्ञापन-III/4/असा./382/19]

टिप्पण : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 115 पर तारीख 28.4.2010 को प्रकाशित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए :-

- (क) शुद्धिपत्र जो तारीख 3.7.2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 168 पर प्रकाशित किया गया।
- (ख) परिशिष्ट जो तारीख 3.7.2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, क्रम संख्या 168 पर प्रकाशित किए गए।
- (ग) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, क्रम संख्या 60 जो तारीख 6.3.2010 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 प्रकाशित किए गए।
- (घ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, क्रम संख्या 08 जो तारीख 7.1.2014 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2014 प्रकाशित किए गए।
- (ङ) शुद्धिपत्र जो तारीख 21.2.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4 में, क्रम संख्या 64 पर प्रकाशित किया गया।

- (च) भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 271 जो तारीख 7.8.2015 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2015 प्रकाशित किए गए।
- (छ) भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 162 जो तारीख 29.4.2016 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2016 को प्रकाशित किए गए।
- (ज) शुद्धिपत्र जो तारीख 16.5.2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 162 पर प्रकाशित किया गया।
- (झ) भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में, संख्या 148 जो तारीख 12.4.2017 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (पाँचवां संशोधन) विनियम, 2017 को प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

No. L-1/18/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under clause (h) of subsection (1) of Section 79 read with clause (g) of sub-section (2) of Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Principal Regulations").

1. Short title and commencement

- 1.1 These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Sixth Amendment) Regulations, 2019.
- 1.2 These regulations shall come into force from 1stApril, 2020 or such other date as may be notified by the Commission.

2. Amendment to Part 6 of the Principal Regulations

- 2.1 In Sub-clauses(a), (b) and (c) of clause 4 of Regulation 6.5 of Part 6 of the Principal Regulations, the word 'market' wherever it appears shall be substituted by the words 'Day Ahead Market'.
- 2.2 Sub-clause (a) of clause (5) of Regulation 6.5 of Part 6 of the Principal Regulations shall commence with the Sub-heading "Scheduling of Day-Ahead Collective transaction:"
- 2.3 New sub clause (aa) shall be added after sub clause (a) of clause (5) of Regulation 6.5 of Part 6 of the Principal Regulations, as under:-
 - "(aa) Scheduling of Real-time collective transaction: NLDC shall indicate to Power Exchange(s), margin available in each of the transmission corridors before the gate closure, i.e. before the window for trade closes for a specified duration. Power Exchange(s) shall clear the buy and sell bids for the said duration under consideration on various interfaces or control areas or regional transmission systems as intimated by NLDC. The limit for scheduling of collective transaction during real time for respective Power Exchanges shall be worked out in accordance with the directives of the Commission. NLDC shall furnish the available transmission corridors to the Power Exchange(s) before the trading for real time market for a specified duration closes. Based on the information furnished by NLDC, Power Exchange shall clear the RTM bids and announce the Market Clearing price and volume. Based on the volume cleared by the Power Exchanges, NLDC shall communicate the schedules to the respective RLDCs. After getting confirmation from RLDCs, NLDC shall convey the acceptance of scheduling of collective transaction to Power Exchange(s). RLDCs shall schedule the Collective Transactions at the respective periphery of the Regional Entities."
- 2.4 The clause (18) of Regulation 6.5 of Part 6 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:
 - "18. Revision of declared capability by the ISGS(s) having two part tariff with capacity charge and energy charge and requisition by beneficiary (ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Any revision in schedule made in odd time blocks shall become effective from 7th time block and any revision in schedule made in even time blocks shall become effective from 8th time block, counting the time block in which the request for revision has been received by the RLDCs to be the first one.

Note: Odd Time blocks referred in this clause, are the Time blocks 00:00 to 00:15, 00:30 to 00:45, 01:00 to 01:15 and so on. Even Time blocks referred in this clause, are the Time blocks 00:15 to 00:30, 00:45: 01:00, and 01:15 to 01:30 and so on.

Illustration:

If a request for revision in schedule or declared capability has been made in Time block 17:00 to 17:15 (odd Time block) of a day D, it shall be effective from Time block 18:30 to 18:45 of the day D (7th Time block from the Time block in which the request for revision was made). Similarly, if a request for revision in schedule or declared capability has been made in Time block 17:15 to 17:30 (even Time block) of a day D, it shall be effective from Time block 19:00 to 19:15 of the day (D) (8th Time block from the Time block in which request of revision was made).

2.5 Sub clause (a) of clause 18 of Regulation 6.5 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:

"In case of forced outages of a unit, for those stations who have a two part tariff based on capacity charge and energy charge for long term and medium term contracts, the RLDC shall revise the schedule on the basis of revised declared capability. The revised declared capability and the revised schedules shall become effective from the time block and in the manner as specified in Regulation 6.5.18."

2.6 Clause 19 of Regulations 6.5 of Part 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"In case of forced outage of a unit of a generating station (having generating capacity of 100 MW or more) and selling power under Short Term bilateral transaction (excluding collective transactions in day ahead market and real time market through power exchange), the generator or electricity trader or any other agency selling power from the unit of the generating station shall immediately intimate the outage of the unit along with the requisition for revision of schedule and estimated time of restoration of the unit, to SLDC/RLDC, as the case may be. The schedule of beneficiaries, sellers and buyers of power from this generating unit shall be revised accordingly. The revised schedules shall become effective from the time block and in the manner as specified in Regulation 6.5.18. The SLDC/RLDC as the case may be, shall inform the revised schedule to the seller and the buyer. The original schedule shall become effective from the estimated time of restoration of the unit. However, the transmission charges as per original schedule shall continue to be paid for two days.

Provided that the schedule of the buyers and sellers shall be revised after forced outage of a unit, only if the source of power for a particular transaction has clearly been indicated during short-term open access application and the said unit of that generating station goes under forced outage"

- 2.7 In the heading in Regulation 6.5(A) of Part 6 of the Principal Regulations, the words "Spinning Reserves and URS" shall be substituted by the words "Spinning Reserves, URS and Real Time Transactions".
- 2.8 Clause (c) in Regulation 6.5(A) of Part 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(c) An ISGS whose tariff is determined by the Commission, under section 62 of the Act, may sell power from the share of its original beneficiaries in the day-ahead Market with the consent of such beneficiaries; and in the real-time market without the requirement of consent from the beneficiaries, before the trading for the real time market for a specified duration commences. In both the cases, the realized gains shall be shared between the ISGS and the concerned beneficiary in the ratio of 50:50, in the billing of the following month.

Provided that the share of ISGS in the gains shall be restricted to a ceiling of 7 paise/kWh and the gains over and above 7 paise/kWh shall be to the account of the beneficiary.

Provided further that the gain shall be calculated as the difference between selling price of such power and fuel charge including incidental expenses.

Provided also that such sale of power by ISGS shall not result in any adverse impact on the original beneficiary (ies) including in the form of higher average energy charge vis-à-vis the energy charge payable without such sale:

Provided also that there shall be no sharing of loss between the ISGS and the beneficiary (ies):

Provided also that, the liability of fixed charge in such cases shall remain with original beneficiary (ies) as determined in accordance with the Tariff Regulations notified by the Commission from time to time."

2.9 The following proviso shall be added below Clause (30) of Regulation 6.5 of Part 6 of the Principal Regulation:

"Provided that while curtailing collective transactions, day ahead transactions shall be curtailed first followed by real time transactions."

SANOJ KUMAR JHA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./382/19]

Note: Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 were notified in Part III, Section 4 No. 115 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 28.4.2010 and amended vide:-

- a. Corrigendum published in Part III, Section 4, No. 168 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 03.07.2010
- Addendum published in Part III, Section 4, No. 168 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 03.07.2010
- c. Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2012 published in Part III, Section 4, No. 60 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 06.03.2010
- d. Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Second Amendment) Regulations, 2014 published in Part III, Section 4, No. 08 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.01.2014
- e. Corrigendum published in Part III, Section 4, No. 64 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 21.2.2014
- f. Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Third Amendment) Regulations, 2015 published in Part III, Section 4, No 271 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 07.08.2015
- g. Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fourth Amendment) Regulation, 2016 published in Part III, Section 4, No 162 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 29.04.2016
- h. Corrigendum published in Part III, Section IV, No. 162 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 16.5.2017
- Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) (Fifth Amendment) Regulation, 2017 published in Part III, Section 4, No 148 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 12.04.2017